न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :—19/2017 प्रार्थना पत्र
श्री रामेश्वर लाल दत्तक पुत्र श्री भगवानलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———प्रार्थी

बनाम

1—श्री सम्पत कुमार पिता शंकरलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री राधेश्याम पिता रामचन्द्र विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्रीमति रेणु पत्नि संजय बाहेती, उम्र बालिग निवासी काबरा गली, भोपालगंज—भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4—श्रीमति सरला पत्नि राजेश बाहेती, उम्र बालिग निवासी काबरा गली भोपालगंज—भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5—श्रीमति कांता देवी पत्नि जगदीश चन्द्र सोमाणी, उम्र बालिग निवासी भोपालगंज—भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6—श्री रतनलाल पिता मोहनलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
7—श्री सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी विश्नोई पंचायती नोहरे के सामने, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
8—श्री बालूलाल पिता प्यारचन्द विश्नोई, उम्र बालिग निवासी नीलगर मजिस्द के सामने पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9—श्री शांतिलाल पिता हेमराज विश्नोई, उम्र बालिग निवासी विश्नोई पुस्तकालय के सामने पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—6.3.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का भू—अभिलेख निरीक्षक पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7937 रकबा 4 बीघा, 7938 रकबा 8 बिस्वा, 8019 रकबा 5 बिस्वा, 8020 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के हद व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 8.1.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे उपस्थित पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री गोविन्द विश्नोई, एडवोकेट ने दिनांक 27.11.2017 को उपस्थित होकर अण्डर टेंकिग ली, तथा अधिकार पत्र आयन्दा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 5.12.2017 को उपस्थित होकर अधिकार पत्र प्रस्तुत करने तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 19.1. 2018 को अधिकार पत्र श्री राकेश जैन, एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया तथा साथ ही जवाब भी प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कथन किया कि प्रार्थी ने सभी पड़ौसियों को विपक्षी नहीं बनाया गया हैं। विपक्षी जवाब दाता की जानकारी में कोई सीमाज्ञान नहीं कराया हैं। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

ग। प्रार्थी की आराजियात के पड़ौस में विपक्षीगण जवाबदाता व अन्य खातेदारों की शामलाती
ाजियात है जो सरहद पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7937/1,
38/2, 7939, 7940, 7941 कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा तथा उक्त आराजियात के सभी
तेदारों को प्रार्थी ने विपक्षी नहीं बनाया गया। विपक्षीगण जवाबदावा द्वारा प्रार्थी को विपक्षीगण
ाबदाता की भूमि की नपती कराने के साथ साथ ही अपनी भूमि की नपती कराने बाबत कहा, लेकिन
ी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। विपक्षीगण द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु
्यालय आप में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। इस कारण से विपक्षीगण जवाबदाता की उक्त
राजियात की पत्थरगढ़ी के साथ–साथ ही प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवायी जाना आवश्यक हैं।
: विपक्षीगण जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज
रमाया जावें। विपक्षी संख्या 3 से 9 के सम्मन भी बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली
ये गये। विपक्षी संख्या 3 से 9 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी
स्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिनांक 19.2.2018 को पारित
या गया।

उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के
ान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा
नकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के
ध विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा
नकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

जबकि वकील विपक्षी संख्या 1 व 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी
आराजियात के पड़ौस में विपक्षीगण जवाबदाता व अन्य खातेदारों की शामलाती आराजियात है इस
रण से विपक्षीगण जवाबदाता की उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी के साथ–साथ ही प्रार्थी की भूमि
पत्थरगढ़ी करवायी जाना आवश्यक हैं। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
ल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत
कार किया जाकर ग्राम ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक पुर तहसील व जिला
नवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7937 रकबा 4 बिस्वा, 7938 रकबा 8 बिस्वा, 8019 रकबा 5
वा, 8020 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि की सीमा की पुख्ता
नकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये
अभिलेख निरीक्षक, पुर को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।
मिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की
जूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को
ना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
ा।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner